मुक. 33/25   GCMS-2025/70

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
07.04.2025	पत्रावली प्रार्थी/वादी रामस्वरूप के द्वारा प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने के कारण पेश हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2025 में अंकित विभाजन प्रस्ताव पेश करने के आदेश को विलोपित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दिनांक 07.01.2025 को निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री किया गया है परन्तु संहबन से निर्णय में विभाजन प्रस्ताव पेश करने के आदेश अंकित हो गया है जो कि लिपिकीय भूलवश टाईपिंग करते समय अंकित हो गया है जिसकी दुरूस्ती किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण वाद सं. 04/2020 में पारित निर्णय 07.01.2025 में दुरूस्ती करते हुए आदेश दिया जाता है कि निर्णय के अन्तिम पैरा "अतः वादी का वाद पत्र..दाखिल दफ्तर हो।" में से "एवं तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार उनके विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में पेश करे" के अंकन को विलोपित किया जाता है। शेष आदेश यथावत पढ़ा जावे। आदेश सुनाया गया। आदेश मय प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.01.2025 की प्रति तहसीलदार श्रीवजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	[seal: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner